

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 306

दिनांक:- 25-05-2018

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री कोदरलाल पिठ मावली पेटेल

जति पटेल उम्र 45 नि० आदोला तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत आदोला दिनांक 25-05-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले०२०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा आदोला पंचायत समिति पेटेल में स्थित खाता संख्या 307 पर आराजी नं० 708 कुल — बीघा 13 बिस्वा किता 1 योग रकबा 0-13-26 पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते हैं और लडाईं झगडा करते हैं। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी जगजी पि.वालुग नि० आदोला ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम आदोला के खसरा नं० 710 रकबा — बीघा 8 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 8-0-0 की जमाबंदी सम्वत् 2073-76 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा आदोला में स्थित खाता संख्या 307 पर आराजी नं० 708 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 13 बिस्वा की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा आदोला में स्थित खाता संख्या 307 पर आराजी नं० 708 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 13 बिस्वा की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार डूंगरपुर, मू०अ० निरीक्षक बिलडी के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू० 600/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तमी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैंसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

0
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर